



प्रधान कार्यालय: आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400005

**ग्राहकों को सूचना**  
**केवाईसी दस्तावेज अद्यतन करना**

धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने उन ग्राहकों को व्यक्तिगत पत्र (दिसंबर 2011 / सितंबर 2012) भेजे थे जिनके केवाईसी विवरण अद्यतन किये जाने थे और उनसे अनुरोध किया गया था कि अपेक्षित दस्तावेजों के साथ अद्यतन केवाईसी विवरण प्रस्तुत करें. बैंक ने दिनांक 11 जनवरी 2012 और 16 जून 2012 को अखबार में भी विज्ञापन प्रकाशित कर ग्राहकों से केवाईसी विवरण अद्यतन करने का अनुरोध किया था. तथापि, बैंक को चूंकि अभी तक कुछ ग्राहकों से अद्यतन केवाईसी दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं, हम सभी ग्राहकों से पुनः अनुरोध करते हैं कि वे अपने खाते में निर्बाध सेवा सुनिश्चित करने के लिए अधिदेशित दस्तावेज **तत्काल** प्रस्तुत कर दें (**कृपया "ग्राहक आईडी फॉर्म" डाउनलोड करने के लिए इस सूचना के अंत में दिए गए लिंक पर क्लिक करें**). ऐसा न करने पर बैंक को ऐसे खातों में आगे लेन-देन की अनुमति न देने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा. बैंक ऐसे केवाईसी गैर-अनुपालक खातों को स्थायी रूप से बंद करने के बारे में भी स्वविवेकानुसार निर्णय ले सकता है. **आईडीबीआई बैंक की शाखाएं इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पूरा सहयोग देंगी. अतः ग्राहकों से अनुरोध है कि वे मूल (होम) शाखा से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज तत्काल प्रस्तुत कर दें. यदि दस्तावेज पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं तो कृपया इस सूचना पर ध्यान न दें.**

पहचान, पते तथा हस्ताक्षर प्रमाण के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की निदर्शात्मक सूची निम्नानुसार है:

निम्न के प्रमाण के रूप में स्वीकार्यता				
क्रम सं	दस्तावेज	पहचान	हस्ताक्षर	डाक भेजने

		(आई)	(एस)	का पता (ए)
1.	पासपोर्ट	हाँ	हाँ	हाँ
2.	पैन कार्ड	हाँ	हाँ	नहीं
3.	ड्राइविंग लाइसेंस (लैमिनेटेड/गैर लैमिनेटेड)	हाँ	नहीं	हाँ
4.	मतदान/मतदाता पहचान पत्र (आईडी कार्ड)	हाँ	नहीं	हाँ
5.	कर्मचारी आईडी कार्ड (कॉर्पोरेट वेतन खाते के लिए) एक पहचान प्रमाण के साथ	हाँ	हाँ	नहीं
6.	सरकारी विभाग / रक्षा विभाग/ पुलिस विभाग/ पीएसयू संस्था/ भारतीय डाक का आईडी कार्ड	हाँ	हाँ	नहीं
7.	फोटो आईडी डेबिट/ क्रेडिट कार्ड	हाँ	हाँ	नहीं
8.	एक राजपत्रित अधिकारी के स्तर के किसी मान्यता प्राप्त सरकारी प्राधिकारी जैसे जिला मजिस्ट्रेट, संभागीय आयुक्त, बीडीओ, तहसीलदार, न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि का पत्र	हाँ*	नहीं	हाँ*
9.	पेंशन बुक / कार्ड	हाँ*	हाँ *	नहीं
10.	महिला के लिए विवाह प्रमाणपत्र /निकाहनामा (विवाह पूर्व नाम के पहचान के दस्तावेज और पति के पते के वैध प्रमाण के साथ)	हाँ	नहीं	हाँ*
11.	रक्षा कर्मचारी पर आश्रित होने का कार्ड	हाँ	नहीं	नहीं
12.	रक्षा कर्मचारियों को जारी किया गया भूतपूर्व रक्षा कर्मचारी कार्ड	हाँ	नहीं	नहीं
13.	आईएसए के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों में जारी नागरिकता कार्ड	हाँ*	हाँ*	हाँ*
14.	डाक भेजने के लिए वर्तमान पता प्रमाणित करते हुए नियोक्ता का पत्र – केवल प्रायवेट लि. और पब्लिक लि. कंपनियों के लिए	नहीं	नहीं	हाँ
15.	नवीनतम बिजली अथवा टेलीफोन बिल (लैंडलाइन/पोस्टपेड मोबाइल)	नहीं	नहीं	हाँ
16.	जीवन बीमा पॉलिसी अथवा प्रीमियम रसीद की नवीनतम प्रति	नहीं	नहीं	हाँ
17.	वर्तमान मकान का स्टैम्प पेपर पर पंजीकृत	नहीं	नहीं	हाँ

	वैध लीज़ करार			
18.	बैंक खाता / क्रेडिट कार्ड विवरण अथवा पासबुक (प्रथम पृष्ठ)	नहीं	नहीं	हाँ
19.	नगर निगम बिल	नहीं	नहीं	हाँ
20.	राशन कार्ड	नहीं	नहीं	हाँ
21.	ग्रामीण / अर्ध शहरी ग्राहकों के मामले में, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों जैसे ग्राम सेवक, तलाठी अथवा किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी पहचान / निवास प्रमाण प्रमाण पत्र स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते शाखा प्रबंधक उसकी प्रामाणिकता और सही होने के संबंध में संतुष्ट हो	हाँ	नहीं	हाँ
22.	नरेगा के जॉब कार्ड अथवा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार पत्र (केवल छोटे खातों के मामले में लागू) (स्वतः सत्यापित फोटो सहित शाखा प्रमुख की उपस्थिति में हस्ताक्षर लिये जाएं)	हाँ	नहीं	हाँ
23.	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार पत्र	हाँ	नहीं	हाँ

\* केवल उस स्थिति में जब उक्त दस्तावेज में ब्योरे उपलब्ध हों. पहचान प्रमाण के लिए, फोटो की पहचान संबंधित प्राधिकारियों द्वारा की जाएगी.

व्यक्तियों से भिन्न संस्थाओं को सभी निदेशकों / साझेदारों / न्यासियों / पदाधिकारियों / स्वामी, जैसा भी मामला हो, से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे.

सादर,

प्रधान अधिकारी

ग्राहक सूचना फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें.

